



Neutral Citation No. - 2026:AHC:58613

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 9127 वर्ष 2026

विपिन कुमार

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के लिए अधिवक्ता	:	कुलदीप सिंह तोमर
प्रतिपक्षी(गण) के लिए अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 46

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ,

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख पर रखी गई सामग्री का परिशीलन किया।

वर्तमान जमानत आवेदन, आवेदक विपिन कुमार की ओर से मामला अपराध संख्या 241 वर्ष 2025, अंतर्गत धारा 308(5) भारतीय न्याय संहिता और धारा 67-ए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, पुलिस स्टेशन- कोतवाली देहात, जिला- बुलंदशहर में परीक्षण के दौरान उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना करते हुए दायर किया गया है।

यह आवेदक का द्वितीय जमानत आवेदन है। आवेदक का प्रथम जमानत आवेदन इस न्यायालय द्वारा 01.09.2025 को खारिज कर दिया गया था, जिसमें परीक्षण न्यायालय को निर्देश दिया गया था कि वह धारा 309 दंड प्रक्रिया संहिता/346 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार आवेदक के विरुद्ध परीक्षण को यथाशीघ्र समाप्त करे।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि परीक्षण न्यायालय के समक्ष पीडब्लू-1, पीडब्लू-2 और पीडब्लू-3 की जाँच हो चुकी है। उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया और उन्हें पक्षद्रोही साक्षी घोषित कर दिया गया है। यह आवेदक को झूठा फंसाने का मामला है। वह 15.4.2025 से जेल में है। उसके विरुद्ध दो छोटे आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनका स्पष्टीकरण जमानत आवेदन के समर्थन में दायर शपथपत्र के प्रस्तर 14 में उचित रूप से दिया गया है।

इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत प्रार्थना का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि आवेदक की निर्दोषता का निर्णय परीक्षण से पहले के चरण में नहीं किया जा सकता, इसलिए वह किसी भी प्रकार के अनुग्रह का पात्र नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह फिर से इसी प्रकार की गतिविधियों में लिप्त होगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेगा।

उपरोक्त उल्लिखित पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई दलीलों में बल पाते हुए; परीक्षण के निष्कर्ष के संबंध में अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए; पुलिस द्वारा एकपक्षीय अन्वेषण, जिसमें अभियुक्त पक्ष के मामले की अनदेखी की गई; आवेदक के विचाराधीन होने और शीघ्र सुनवाई के मौलिक अधिकार; भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक अधिदेश के दृष्टिगत, **मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय, 2024 लॉ सूट (एससी) 677** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयसिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, विचाराधीन कैदियों द्वारा जेलों में उनकी क्षमता से 5-6 गुना अधिक भीड़भाड़ को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, उपरोक्त अपराध में संलिप्त आवेदक को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप उसके व्यक्तिगत बंधपत्र और दो जमानती प्रत्येक समान राशि के प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:

(i) आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही साक्षियों को धमकाएगा।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) आवेदक को यह वचनबंध देना होगा कि जब साक्षीगण न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथियों पर सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन करने पर, परीक्षण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।

(iii) आवेदक को निर्धारित प्रत्येक तिथि पर परीक्षण न्यायालय के समक्ष स्वयं या न्यायालय के निर्देशानुसार उपस्थित रहना होगा। यदि वह पर्याप्त कारण बताए बिना अनुपस्थित रहता है, तो परीक्षण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-ए के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।

(iv) यदि आवेदक परीक्षण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है और आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो परीक्षण न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए के अंतर्गत कानून के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही शुरू करेगा।

(v) आवेदक को (i) परीक्षण आरम्भ करने, (ii) आरोप तय करने और (iii) धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अभिकथन दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर परीक्षण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना होगा। यदि परीक्षण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो परीक्षण न्यायालय ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकता है।

यदि, उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होता है, तो जमानत रद्द करने का यह एक आधार होगा।

जमानत स्वीकार किए जाने से पहले आवेदक और जमानतदारों की पहचान और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाए।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ)

20 मार्च, 2026

रुचि अग्रहरि

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।